न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा राज0

मिसलन नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
153 / 2013	07.05.2013	08.07.2019

पीठासीन अधिकारी– श्री पी.आर. मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. सुरजमल पुत्र श्री हीरालाल
2. बुद्धि प्रकाश पुत्र श्री हीरालाल
3. राधेश्याम पुत्र श्री हीरालाल
4. रामजानकी पुत्री श्री हीरालाल
5. राममूर्ति पुत्री श्री हीरालाल
6. कंचन पुत्री श्री हीरालाल
7. जगन्नाथी बाई बेवा श्री हीरालाल
8. गंगाधर पुत्र श्री जगन्नाथ (मृतक) जरिये कायम मुकाम

8/1 त्रिभुवन पुत्र गंगाधर
8/2 दौलतराम पुत्र गंगाधर
8/3 गिर्राज पुत्र गंगाधर
8/4 सकुन्तला पुत्री गंगाधर
8/5 सुमित्रा पत्नि गंगाधर

जातियान मीणा निवासीगण करजोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र नाथु
2. रामप्रसाद पुत्र नाथु
3. मन्नालाल पुत्र नाथु
4. छोटुलाल पुत्र नाथु
5. बिरजी बाई पत्नि नाथु
6. लटुरी पुत्री नाथु
   जातियान मीणा निवासीगण करजोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
7. भवानीशंकर पुत्र गोपीचन्द
8. प्रेमशंकर पुत्र गोपीचन्द
9. चमेली पुत्री गोपीचन्द
10. साबु पुत्री गोपीचन्द
11. मन्नी पुत्री गोपीचन्द
12. गंगा बेवा गोपीचन्द जातियान मीणा निवासीगण करजोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
13. रामप्रताप दत्तक पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी करजोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
14. गंगा पुत्री कान्हा पत्नि बजरंगलाल
15. बरफा पुत्री कान्हा पत्नि रामगोपाल जाति मीणा निवासी करजोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

प्रतिवादीगण

सत्य प्रतिलिपि
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

मिलान किया
पढ़ा — सुना

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned by CamScanner

उपस्थित–
वादीगण की ओर से:–
प्रतिवादीगण की ओर:–
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92(A) 53,188 आरटी एक्ट

श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट
श्री गिरिराज कुशवाहा एडवोकेट

निर्णय

वांदी एवं प्रतिवादी गण द्वारा संशोधित राजीनामा एंव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 आर/डब्ल्यु 151 सी0पी0सी0 का पेश कर निवेदन किया गया कि निर्णय दिनांक 11.10.2017 में ग्राम करजोदा पटवार क्षेत्र दुर्जनपुरा की विवादित भूमि के खसरा नम्बर 102 रकबा 0.50 हैक्टेयर, ख0न0 460 रकबा 0.11 हैक्टेयर, ख0न0 462 रकबा 0.13 हैक्टेयर, ख0न0 463 रकबा 0.03 हैक्टेयर, भूमि सहवन से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 7 ता 15 के खाते दर्ज कर दी गई है, जबकि उक्त ख.न. की भूमि प्रतिवादी क्रम 1–6 के खाते ही रहनी चाहिए थी। इस प्रार्थना पत्र के साथ पक्षकारान द्वारा संशोधित राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा लोक न्यायालय की भावना से वाद में राजीनामा कर लिया गया है जिसके अनुसार बन्दोबस्त संवत 2041 से 2060 से पूर्व ग्राम करजोदा पटवार क्षेत्र दुर्जनपुरा द्वितीय की जमाबन्दी संवत 2036–2039 के खाता संख्या 28 में खसरा नम्बर 90 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा न0 91 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख0 न0 139 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 140 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 167 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 178 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 206 रकबा 9 बिस्वा, ख0न0 216 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 278 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 283 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 6 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 मि0 24 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 मि 34 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 46 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 48 रकबा 8 बिस्वा, ख0न049 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 50 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 51 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0न073 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 74 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख0न0 75 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0न0 201 रकबा 5 बिस्वा, ख0न0 304 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 310 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 25 कुल रकबा 62 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण क्रम 7 से 15 के पूर्वजों जगन्नाथ प्रभुलाल बेटे पन्ना हिस्सा 2/3 एवं गोपीचन्द, रामप्रताप बेटे कान्हा, गंगा, बरफा पुत्री कान्हा हिस्सा 1/3 के खाते दर्ज थी। तत्पश्चात बाद बन्दोबस्त संवत 2041 से 2060 विवादित आराजी के नवीन खसरा नम्बर 37 रकबा 0.43 हैक्टे, ख0न0 46 रकबा 0.44 हैक्टे. ख0न0 47 रकबा 0.42 हैक्टे., ख0न0 77 रकबा 0.52 हैक्टे., ख0न0 84 रकबा 1.02 हैक्टे., ख0न0 85 रकबा 0.46 हैक्टे, ख0न0 90रकबा 0.26 हैक्टे. , ख0न0 101 रकबां 0.60 हैक्टे., ख0न0 148 रकबा 1.73 हैक्टे, ख0न0 208 रकबा 0.80 हैक्टे., ख0न0 209 रकबा 0.33 हैक्टे., ख0न0 210 रकबा 0.90 हैक्टे., ख0न0 257 रकबा 0.15 हैक्टे., ख0न0 258 रकबा 0.79, हैक्टे. ख0न0 287 रकबा 0.71 हैक्टे., ख0न0 348 रकबा 0.08 हैक्टे., ख0न0 354 रकबा 0.15 हैक्टे., ख0न0 440 रकबा 0.23 हैक्टे., ख0न0 441 रकबा 0.25 हैक्टे., ख0न0 443 रकबा 0.28 हैक्टे., ख0न0 444 रकबा 0.06 हैक्टे., ख0न0 453 रकबा 0.06 हैक्टे., ख0न0 454 रकबा 0.07 हैक्टे., ख0न0 427/468 रकबा 0.40 हैक्टे., कुल रकबा 11.14 हैक्टेयर पेमुद किये गये।

यह कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा बगैर अधिकारिता एवं वैध आदेश के वादीगण एवं प्रतिवादी गण 7–15 के पूर्वजों के खाते की उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 से 6 तथा उनके पूर्वजों के खाते दर्ज कर दी गई है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य इस आशय की रजामन्दी हो गई है कि वादीगण एवं प्रतिवादी गण 7 से 15 के पूर्वजों के खाते की उपर वर्णित भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्सें का, प्रतिवादी क्रम 7 ता 12,14,15 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी क्रम 13 को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर दिया जाये एवं उपर वर्णित भूमि पर से प्रतिवादी क्रम 1 से 6 तक का नाम विलोपित कर दिया जावे। इसमें सभी पक्षकारान को कोई आपत्ति नही है।

मिलान किया
पढा सुना

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

सत्य प्रतिलिपि
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned by CamScanner

अतः हम सभी पक्षकारान अपने होश–हवास में यह राजीनामा निष्पादित कर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मुताबिक राजीनामा मुकदमा निर्णित फरमा दिया जावे।

उपरौक्त संशोधित राजीनामा एवं प्रार्थना पत्र 152 सी.पी.सी. पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा भूमि खातेदर्ज की जाने की प्रार्थना की गई। रिकार्ड का अवलोकन किया गया, बहस का मनन किया गया। चूकि भूमि पेतृक है अतः राजीनामा एवं प्रार्थना पत्र 152 सी.'पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः संशोधित राजीनामा एवं प्रार्थना पत्र 152 सी.'पी.सी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि संशोधित राजीनामा में वर्णित भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी क्रम 7 ता 12,14,15 को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी क्रम 13 को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है ।

प्रार्थना पत्र 152 सी.पी.सी. आर/डब्ल्यु 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि, संशोधित निर्णय दिनांक 11.10.2017 में खसरा नं. 102 रकबा 0.50 हैक्टे., खसरा नं. 460 रकबा 0.11 हैक्टे., खसरा नं. 462 रकबा 0.13 हैक्टे., खसरा नं. 463 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि सहवन से वादीगण एंव प्रतिवादीगण 7 ता 15 के खाते दर्ज कर दी गई है। उक्त त्रुटि को सुधारते हुए उपरौक्त खसरा नम्बर आदेश से विलोपित किये जाते है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पास यथावत रहेगी।

उपरौक्त आदेश अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निणर्य आज दिनांक 08.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पी. आर. मीना
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि.
(फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

सत्य प्रतिलिपि

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

मिलान किया

क्रमांक 70
आवेदन ... तारीख 1-5-2019
तैयार ... 1-8-2019

Scanned by CamScanner